कार्यालय वन संरक्षक, वन वृत्त, इन्दौर
नवरतनबाग, फॉरेस्ट केम्पस, इन्दौर, म.प्र.–

Tel. (O) 0731-2491831 (Fax) 0731-2491657 E-mail : ccf.ind@mp.gov.in

क्रमांक /तकनीकी/24/1691 इन्दौर, दिनांक : 3–4–2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन
भोपाल, म0प्र0

By E-mail

विषयः– अलीराजपुर जिले में एडीबी–6 योजना के अंतर्गत भाभरा–उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भः–वन मण्डलाधिकारी अलीराजपुर का पत्र क्रमांक/मा.चि./2024/1821 दिनांक 27.3.24

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अलीराजपुर जिले में एडीबी–6 योजना के अंतर्गत भाभरा–उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा 04 बिन्दुओं पर चाही गई जानकारी अलीराजपुर से प्राप्त कर संलग्न अवलोकनार्थ सम्प्रेषित है ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक
(क्षे.) वन वृत्त इन्दौर

C:\Users\PC\Desktop\2-4-24.doc

50k864

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अलीराजपुर (म0प्र0)

फारेस्ट केम्पस, खण्डवा बडौदा रोड़, अलीराजपुर–457887

Tel & Fax No. 07394-234530 E-mail : dfot.alp@mp.gov.in

EMAIL 27 MAR 2024

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 1821 दिनांक : 27-03-24

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन
भोपाल, मध्यप्रदेश

विषय :– अलीराजपुर जिले में एडीबी–6 योजना के अंतर्गत भाभरा–उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन / चौड़ीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को उपयोग पर देने बावत।

संदर्भ :– 1) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6– MPB 021/2022-BHO दिनांक 23.02.2024।
2) आपका पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1141 / 2022 / 10–11 / 1286 दिनांक 27.02.2024।

-- * --

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने विशयांकित प्रकरण में 04 बिन्दुओ की जानकारी निम्नानुसार तैयार कर सादर प्रेशित है।

1	When was the works in violation started ?	भाभरा–उदयगढ़ मार्ग का निर्माण कार्य वर्श 2021 में प्रारम्भ हुआ।
2	Whether any authority has passed orders in contraventiuon of provision of FCA ?	आवेदक विभाग मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, इन्दौर–2 जिला धार द्वारा उक्त क्षेत्र राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज होने के कारण बिना वन विभाग की अनुमति के मौके पर निर्माण कार्य किया।
3	What action has been taken against the offenders ?	वनक्षेत्र में बिना अनुमति के निर्माण कार्य के संबंध में आवेदक विभाग संभागीय प्रवंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, इन्दौर–2 जिला धार को स्पष्टीकरण जारी किया गया है तथा दोशी पाये वन कर्मचारी बीटगार्ड व वनपरिक्षेत्र सहायक को लघुशास्ति परिनिन्दा से दण्डित किया।
4	The State Govt. shall submit a detailed action taken report of violation, name of violator/offender/sub ordinate officers. The concerned DFO should refer to the guideline Para 1.16 of the Handbook before determining the type of violation and submitting the action taken report.	वर्तमान में मौका स्थल निरीक्षण करने पर उक्त निर्माण स्थल क्षेत्र वन विभाग मानचित्र अनुसार वनभूमि तथ राजस्व रिकार्ड अनुसार पटवारी हल्का नंबर 12 के खसरा क्रमांक 52,128,132,133,134,155,154,145,144, 141, 136 की राजस्व भूमि हैं। वनखण्ड अकोलिया मध्यभारत फॉरेस्ट एण्ड ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट ग्वालियर की अधिसूचना क्रमांक / 1101/XF/202(54) से संरक्षित वन घोशित है उक्त अधिसूचना (रिक्त) है जिसमें वनविभाग को हस्तातरित ग्राम के खसरे व रकवे को कोई उल्लेख नही है न उक्त वनखण्ड का मानचित्र उपलब्ध हैं। जिस कारण से वन / राजस्व सीमा स्पष्ट नही हो पा रही है। आवेदक विभाग मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, इन्दौर–2 जिला धार द्वारा उक्त क्षेत्र राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज होने के कारण बिना वन विभाग की अनुमति के मौके पर निर्माण कार्य किया।

क्षे.प्र.
1165

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल अलीराजपुर

पृ0 क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 1822 दिनांक : 27-03-24

प्रतिलिपि :–

मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेशित।

मा० चि०

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल अलीराजपुर

D:\Letter 2024.doc

2917
दि. 27/03/24